

कॉन्सेप्ट नोट

‘कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच आशा कार्यकर्ताओं के संघर्षों को समझने का प्रयत्न ’

दिनांक 24.06.2020 दिन बुधवार

4:00 PM से शुरू होकर 5:30 PM तक

सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशा कार्यकर्ता (Accredited Social Health Activists) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के तहत काम करने वाला अग्रिम दस्ता होता है। वर्तमान में लगभग 9 लाख आशा कार्यकर्ता, ग्रामीण और अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्राथमिक विकल्प के रूप में काम कर रहे हैं।

महामारी के इस चुनौतीपूर्ण आपातकाल में हरियाणा, झारखण्ड और उत्तर प्रदेश की बहुत सारी आशा कार्यकर्ताओं से बात करने और मीडिया के रिपोर्ट्स से यह बात सामने आयी है कि आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर न केवल अतिरिक्त काम का बोझ बढ़ा है बल्कि उन्हें बगैर किसी समुचित ट्रेनिंग व पी.पी.ई. किट तथा यथोचित भत्ते के बिना काम करना पड़ रहा है।

आशा कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जागरूकता फैलाने, हाल के दिनों में यात्रा किये हुए लोगों को निर्देशित करने और कोरोना के लक्षण वाले लोगों को चिन्हित करने जैसे महत्वपूर्ण काम करने होते हैं, इसके साथ ही उन्हें हमेशा के काम मसलन मातृ व नवजात के स्वास्थ्य का ख्याल रखने, कॉलरा के केस, फैमिली प्लानिंग, पोषण और आहार, शरीर प्रतिरक्षा को मज़बूत रखने जैसे कई काम एक साथ करने पड़ रहे हैं। यही नहीं उन्हें बगैर किसी साफ़ शौचालय व साफ़ पानी की व्यवस्था के, गर्मी के इन दिनों में भी प्रतिदिन 30 से 50 घरों का सर्वेक्षण करना पड़ता है। कई आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें अपने लिए और कोरोना के लक्षण वाले व्यक्ति, दोनों के लिए माँस्क की व्यवस्था करनी पड़ती

है। इन्हें बुनियादी सुरक्षा उपकरणों जैसे कि मास्क व दस्तानों के बगैर भी काम करना पड़ रहा है जिससे वो स्वयं भी संक्रमित हो रही हैं।

कोविड - 19 के दौरान हो रहे डोर टू डोर सर्वेक्षण के दौरान समाज की रूढ़िवादी सोच जो उन्हें संक्रमण फैलाने वाले के रूप में देखती है, के कारण उन्हें कई तरह की तनावपूर्ण स्थितियों, अपमान और हिंसा का भी सामना करना पड़ा है। आशा कार्यकर्ताओं के कार्यकारी परिस्थितियों के प्रति राज्य की यह उदासीनता, नीतियों के निर्माण में लैंगिक उपेक्षा की एक झलक है। इससे उस पितृसत्तात्मक सोच की भी झलक दिखलायी पड़ती है जिसमें आशा के काम करने को (देख-रेख) महिला होने के कारण स्वाभाविक झुकाव के रूप में समझने से 'वॉलन्टियर' का दर्जा दिया जाता है न कि 'वर्कर' का। यह अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है कि आशा भी उसी समुदाय की औरते हैं जहाँ पर वे काम करती हैं, पितृसत्तात्मक सोच व रुकावटों का सामना करती हैं।

जब केंद्र सरकार द्वारा कोविड संबंधी काम कर रहे सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 5 लाख रूपये के जीवन- बीमा की घोषणा की जाती है तो इसमें आशा द्वारा उठाई जा रही उच्च स्तर की चुनौतियों को समाहित नहीं किया गया है। आशा द्वारा इस महामारी के दौरान जिस स्तर का प्रतिदिन जोखिम उठाया जाता है उसके बदले में उन्हें बहुत मामूली पारिश्रमिक ही दिया जाता है। महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय ने न केवल भारत की जन स्वास्थ्य सेवा के दोषों को उजागर किया है, साथ ही साथ आशा के सामने तमाम चुनौतियाँ को ला खड़ा कर दिया है जिनमे पारिश्रमिक का समय से न मिलना, ड्रग-किट्स में कटौती इत्यादि हैं। आशा के संघर्ष के बाद कई राज्यों में उन्हें निश्चित मासिक पारिश्रमिक मिलती है लेकिन कई राज्यों में उन्हें अब भी दिहाड़ी मजदूरी ही मिलती है। कई राज्यों में आसन्न मजदूर कानूनों में बदलाव के मद्देनज़र कई नौकरियों के अनौपचारिक हो जाने का डर है जिससे आशा वर्कर्स के अधिकारों की माँग पर भी असर पड़ेगा।

आज इतने बड़े पब्लिक हेल्थ संकट के समय आशा वर्कर्स के मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करने लिए बातचीत करना महत्वपूर्ण हो गया है जिससे समान काम के लिए समान वेतन और सुरक्षित व सम्मानजनक रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकें। ऐसे में आशा वर्कर्स के अपने दृष्टिकोण एवं उनके अनुभवों को समझना और इस महामारी के दौरान निभायी जा रही उनकी भूमिका पर भी विचार करना जरूरी है। यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि कैसे समुचित प्रशिक्षण, सरकारी स्वास्थ्य विभाग और सांस्थानिक सहयोग से समाज में हाशिये पर के लोगों तक आशा वर्कर्स की पहुँच को विस्तार दिया जा सकता है।